तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

08.09.2024

दिनांक 08.08.2024 को इकजाई पेशी दिए जाने से पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी ने साक्ष्य वादी में वादी गणपतराम पुत्र स्वर्गीय मुक्तिलाल एवं साक्ष्य गवाह में रामकिशन पुत्र स्वर्गीय मुक्तिलाल के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किए। जो शामिल पत्रावली किए गए। वास्ते प्राप्त होने जांच रिपोर्ट तहसीलदार पत्रावली दिनांक 10.09.204 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

10.09.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में उपतहसीलदार (भू0अ0) अजीतगढ से पालना रिपोर्ट कमांक/भू.अ./2024/699 दिनांक 23.08.2024 द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 14.10.2024 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

14.10.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 15.10.2024 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

15.10.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी एकंपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णये/आदेश पत्रावली दिनांक 23.10.2024 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

23.10.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। प्रकरण [illegible] निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल [illegible] किया गया। निर्णय अनुस[illegible] वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री [illegible]री हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
63 / 2024	2024 / 117	09.05.2024	23.10.2024 (निर्णय)

उनवान प्रकरण

1. गणपतराम पुत्र स्वर्गीय मुक्तिलाल जाति मेघवंशी (बलाई) आयु 55 साल निवासी वार्ड नम्बर–15 तन ग्राम गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0

— वादी—

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0

— प्रतिवादी —

उपस्थितः–

श्री भारत भूषण सामोता / कानाराम पूनियां, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से

वादपत्र बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम गढटकनेत पटवा[illegible] गढटकनेत भू.अभि.निरक्षक अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 [illegible] 1893, 1894, 1895 कुल किता 3 कुल रकबा 3.3100 हैक्टर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0 में में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हिस्सा 1/8 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी का नाम श्री किशन पुत्र मुक्तिलाल दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक नाम गणपतराम पुत्र मुक्तिलाल है। वादी के अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम गणपतराम पुत्र मुक्तिलाल ही दर्ज है परन्तु उक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम वादी को घर पर बोलते नाम श्री किशन पुकारने के कारण श्री किशन दर्ज हो गया था, जिसके कारण वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं एवं अन्य सुविधाओं में परेशानी होती है एवं किसान केडिट कार्ड बनवाने में परेशानी आ रही है इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड खातेदारी में श्री किशन पुत्र मुक्तिलाल के स्थान पर गणपतराम पुत्र मुक्तिलाल घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक हैं। वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तन ग्राम गढटकनेत पटवार हल्का गढटकनेत भू.अभि.निरक्षक अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1893, 1894, 1895 कुल किता 3 कुल रकबा 3.3100 हैक्टर में हिस्सा 1/8 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी का नाम श्री किशन पुत्र मुक्तिलाल के स्थान पर गणपतराम पुत्र मुक्तिलाल घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाकर उक्तनुसार दुरूस्ती हेतु भूमिधारी तहसीलदार को आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 तामील साधारण तरीके से करवाई गई। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली में साक्ष्य वादी में वादी गणपतराम पुत्र स्वर्गीय मुक्तिलाल एवं साक्ष्य वादी गवाहान् में रामकिशन पुत्र स्वर्गीय मुक्तिलाल जाति मेघवंशी (बलाई) के मुख्य परीक्षण के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किए। वकील वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील वादी ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई एकपक्षीय बहस पर मनन [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077, मिलान क्षेत्रफल, खतोनी संवत् 2026–2030, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र, जन आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

कार्ड, परिवार राशन कार्ड, उपतहसीलदार (भू0अ0) अजीतगढ़ (नीमकाथाना) से प्राप्त जांच रिपोर्ट, पत्रावली में साक्ष्य वादी में वादी गणपतराम पुत्र स्वर्गीय मुक्तिलाल एवं साक्ष्य वादी गवाहान में रामकिशन पुत्र स्वर्गीय मुक्तिलाल जाति मेघवंशी (बलाई) के मुख्य परीक्षण के लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी वाद में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1893, 1894, 1895 कुल किता 3 कुल रकबा 3.3100 हैक्टर तन ग्राम गढटकनेत पटवार हल्का गढटकनेत भू.अभि.निरीक्षक अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0 में में हिस्सा 1/8 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी का नाम श्री किशन पुत्र मुक्तिलाल दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जबकि वादी का वास्तविक नाम गणपतराम पुत्र मुक्तिलाल आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड से स्पष्ट होता है। कार्यालय उपतहसीलदार (भू.अ.) अजीतगढ़ से प्राप्त जांच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि ग्राम गढटकनेत के खाता संख्या 402 खसरा 1893 किता 3 रकबा 3.31 हैक्टर श्री किशन पुत्र मुक्तिलाल हिस्सा 1/8 जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासी एवं सह–खातेदारो से पूछताछ करने पर बताया गया कि पिता मुक्तिलाल के फौत हो जाने के पश्चात विरासत का नामन्तकरण संख्या 162 से श्रीकिशन पुत्र मुक्तिलाल दर्ज हो गया। जो कि बचपन का नाम हैं। जबकि ग्राम गढटकनेत में श्रीकिशन पुत्र मुक्तिलाल जाति मेघवंशी नाम को कोई भी व्यक्ति नही हैं वादी के समस्त दस्तावेजो आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि और ग्रामवासी एवं सहाखातेदार के अनुसार वादी का सही नाम गणपतराम पुत्र मुक्तिलाल जाति मेघवंशी है। अतः ग्रामवासियों एवं वादी के समस्त दस्तावेजों के अनुसार राजस्व रिकार्ड में श्री किशन पुत्र मुक्तिलाल जाति मेघवंशी के स्थान पर गणपतराम उर्फ श्री किशन पुत्र मुक्तिलाल जाति मेघवंशी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। उक्त वादपत्र में प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जाँच रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर [illegible] पुत्र मुक्तिलाल के स्थान पर गणपतराम पुत्र मुक्तिलाल राजस्व [illegible] हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्या[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

-: क्रियात्मक आदेश :-

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड स्वीकार किये जाकर तन ग्राम गढटकनेत पटवार हल्का गढटकनेत भू.अभि.निरीक्षक अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1893, 1894, 1895 कुल किता 3 कुल रकबा 3.3100 हैक्टर में हिस्सा 1/8 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी का नाम श्री किशन पुत्र मुक्तिलाल के स्थान पर गणपतराम उर्फ श्री किशन पुत्र मुक्तिलाल घोषित किया जाकर दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त फरमाये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:57 IST
Reason: SelfAttested